	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	**Published by Authority**
	आश्विन 01, गुरूवार, शाके 1943-सितम्बर 23, 2021 *Asvina 01, Thursday, Saka 1943- September 23, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 23, 2021

संख्या प. 7(100)(71)/परि/नियम/मु/2013/17409:-राजस्थान लोक सेवा वाहन अधिग्रहण अधिनियम, 1987 (Rajasthan Requisitioning of Public Service Vehicles Act, 1987) की धारा 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद् द्वारा राज्य के समस्त जिला मजिस्ट्रेट को राज्य में पंजीकृत या संचालित समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यानों (बस, मिनी बस आदि) का अधिग्रहण किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र कुमार खींची,
संयुक्त शासन सचिव, परिवहन।

9403

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।